

प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांक : बी0उ0के0 / 114
दिनांक : मई 30, 2024

प्रभारी अधिकारी,
विश्वविद्यालय बेवसाइट
एरिस सैल, पन्तनगर

प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र पर लगभग 58.40 हैक्टेयर भूमि वास्तविक पैमाईश के आधार पर कृषि कार्य हेतु एक वर्ष (दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025) तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर वाह्य ठेकेदारों/ऐजन्सियों को दिये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिये विज्ञापन प्रसारित किया जाना है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

विज्ञापन का प्रारूप

प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र, पन्तनगर

निविदा सूचना/शुद्धि पत्र

प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र, पन्तनगर पर लगभग 58.40 हैक्टेयर भूमि वास्तविक पैमाईश के आधार पर कृषि कार्य हेतु एक वर्ष (दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025) तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर देने हेतु दिनांक 05.06.2024 के अपराह्न 3:00 बजे तक मुहरबन्द/बन्द लिफापे निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	लॉट सं0	खण्ड	प्रक्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	1	एल	193A	15.60
2	2	एल	193B	18.00
3	3	एल	195	16.49
4	4	एल	197D	2.51
5	5	एल	194	5.80
			कुल योग	58.40

उपरोक्त का पूर्ण विवरण एवं निविदा की शर्तें, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के कार्यालय में दिनांक 31.05.2024 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 05.06.2024 के अपराह्न 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रु0 1180.00 (सभी कर सहित) प्रति निविदा (नान रिफन्डेबल) के भुगतान दर पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.gbpuat.ac.in) में दिनांक 31.05.2024 से प्राप्त/देखा जा सकता है।

संयुक्त निदेशक
प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र
पन्तनगर-263145

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूपों को विश्वविद्यालय बेवसाइट में विज्ञापित कराने का कष्ट करें।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार।

संयुक्त निदेशक
प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र
पन्तनगर-263145

BREEDER SEED PRODUCTION CENTRE
G. B. Pant University of Agri. & Tech., Pantnagar-263145
(U.S. Nagar) Uttarakhand

No. SPC/ 115

Dated: 30.5.2024

TENDER NOTICE/CORRIGENDUM

Tenders are invited for one year (01.07.2024 to 30.06.2025) land lease in Breeder Seed Production Centre. Plot wise land lease details are given below:

Sl. No.	Lot No.	Block	Plot No.	Area (Hectare)
1	1	L	193A	15.60
2	2	L	193B	18.00
3	3	L	195	16.49
4	4	L	197D	2.51
5	5	L	194	5.80
Total				58.40

Tender document and other detailed information can be seen in university website www.gbpuat.ac.in.


Joint Director
Breeder Seed Production Center
Pantnagar-263145

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र

जिला-लघम सिंह नगर, पिन-263145

एक वर्षीय अल्पकालीन निविदा शर्तें

पन्तनगर विश्वविद्यालय के प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र पर लाइसेंस/शुल्क के आधार पर एक वर्ष के लिए कृषि कार्य हेतु भूमि बाट्य ठेकेदारों/एजेन्सियों को दिये जाने हेतु निविदा/अनुबन्ध की शर्तें:-


1. (अ) निविदा के अनुरूप सफल निविदादाता अनुबन्ध के अनुसार द्वितीय पक्ष होंगे तथा नियंत्रक गोब०पन्त क००५० प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर प्रथम पक्ष होंगे।
 (ब) निर्धारित अल्पकालीन निविदा प्रपत्र बीज उत्पादन केन्द्र, पन्तनगर, जिला-लघमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से ₹ 1000.00 (₹ एक हजार +जी०एस०टी०) का कैवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक भुगतान पर दिनांक 31.05.2024 से कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 05.06.2024 के अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में भेजना संभव नहीं होगा। इच्छुक द्वितीय पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउन लोड कर प्रयोग की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 1000.00 (₹ एक हजार +जी०एस०टी०) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र" पन्तनगर के नाम देय हो अदा करने पर ही निविदा प्रपत्र वैध माना जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये गये पूर्ण निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रस्तुत करना पूर्णतया द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।
2. यह है कि एक द्वितीय पक्ष द्वारा एक से अधिक निविदा एक ही लॉट के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई सर्वानुभव निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4. (अ) यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा को बन्द लिफाफे में बन्द करके जो संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर को सम्बोधित करना होगा। निविदाओं को बीज उत्पादन केन्द्र में रक्षित घेटी में दिनांक 05.06.2024 अपराह्न 3:00 बजे तक स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक/स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नियत तिथि एवं समय के बाद अथवा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदायें दिनांक 05.06.2024 को समिति द्वारा अपराह्न 4:00 बजे उपस्थित द्वितीय पक्षों के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी। एक निविदा के साथ एक द्वितीय पक्ष अथवा उसके अधिकतम प्रतिनिधि ही उपस्थित हो सकते हैं। तथा निविदा डालने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। निविदाओं के खाले जाने के समय प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र परिसर में किसी भी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं द्वितीय पक्षों को अपने मोबाइल बन्द रखने होंगे।
 (ब) निविदादाता को निविदा के साथ पैन नं० एवं आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. यह है कि विश्वविद्यालय के बीज उत्पादन केन्द्र की भूमि को कृषि कार्य उपयोग करने हेतु निविदा की दरें प्रक्षेत्र की लॉटवार अलग-अलग देनी होंगी। भूमि के जो लॉट बनाये गये हैं उसी के अनुसार प्रत्येक लॉट के लिए प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष दर दर्शानी होंगी। द्वितीय पक्ष को निविदा पत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। प्रत्येक लॉट के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत उच्चतम दर पर निर्णय लॉटवार होगा। द्वितीय पक्ष को अंकों एवं शब्दों में हिन्दी/अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में धनराशि अंकित करनी होगी।
6. (अ) यह है कि द्वितीय पक्ष को निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त अवधि की कुल धनराशि का 3 प्रतिशत धनराशि की दर से धरोहर राशि (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/एफ०डी०आर० (जो गोब०पन्त क००५० प्रौ० विश्वविद्यालय खाते के नाम भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पन्तनगर या नैनीताल बैंक नगला तथा भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, हल्दी पर देय हो) के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि एवं कम धरोहर राशि होने पर निविदायें निरस्त कर दी जायेंगी। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में धरोहर राशि 20 दिन में वापस कर दी जायेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि का समायोजन भूमि शुल्क के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि या खेत खाली कर पूर्ण स्थिति में कब्जा देने तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा कोई व्याज देय नहीं होगा।
 (ब) यह है कि निविदादाता को प्रत्येक लॉट हेतु कुल धनराशि का 03 प्रतिशत सुख्खा धनराशि पूर्णरूपेण जमा करना आवश्यक होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा सुख्खा धनराशि कम संलग्न की जाती है तो उस निविदा को निरस्त की जायेंगी।
7. यह है कि किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।
8. यह है कि विश्वविद्यालय/प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
9. यह है कि द्वितीय पक्ष निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित से अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर सम्बन्धित खेत का निरीक्षण कर सकते हैं। बाद में भूमि की बनावट या पानी की उपलब्धता या कोई अन्य आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. यह है कि शुल्क पर दी जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण जैसे प्लॉट संख्या, खण्ड का नाम, क्षेत्रफल हैक्टेयर में, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
11. यह है कि भूमि/खेत लाइसेंस शुल्क पर माह 01 जुलाई 2024 से माह 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए दिये जायेंगे।

12. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा पर ली गई भूमि से सम्बन्धित सिंचाई विभाग द्वारा अगर आवपाशी (Irrigation Charges) मांगी जाती है तो वह ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से देय होगी अर्थात् ठेके की धनराशि के अतिरिक्त होगी। केन्द्र पर उपलब्ध सिंचाई के साधनों का प्रयोग संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र की पूर्व अनुमति एवं निर्धारित शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर होगा, अलग से जमा करने पर ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। सिंचाई की सुविधा देना तभी सम्भव होगा जब विश्वविद्यालय को अपने खेतों में सिंचाई के साधन की आवश्यकता न हो परन्तु सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर पर भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई हेतु किये जाने की दशा में कुल लाइसेंस शुल्क का 0.5 प्रतिशत भुगतान लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।
13. यह है कि निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त लाइसेंस शुल्कदाता उस क्षेत्रफल पर किसी भी स्थिति में ग्रीष्मकालीन धान (Summer Rice) लगाने की अनुमति नहीं होगी।
14. यह है कि निविदा स्वीकृत होने के बाद एवं आवंटित भूमि के कब्जे से पूर्व द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैंसियत प्रमाणपत्र तथा अपने मूल निवास के पुलिस स्टेशन /जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाण-पत्र (जो कि छह माह से अधिक पुराना नहीं हो) जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड नम्बर एवं वर्ष का आय कर जमा करने का प्रमाण आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा। लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर कार्यरत लाइसेंसी के अधीनस्थ कर्मियों/श्रमिकों का चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना होगा एवं अपने सभी कर्मचारियों का पंजीकरण कराकर प्रक्षेत्र कार्यालय से पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। बिना पहचान पत्र के किसी कर्मी का केन्द्र प्रक्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
15. यह है कि निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता को सम्पूर्ण धनराशि दो किश्तों में निम्नांकित विवरण के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा:-
- अ- प्रथम किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।
- ब- दूसरी एवं अन्तिम किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) 15 दिसम्बर 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
- स- बिन्दु संख्या (अ एवं ब) में वर्णित किश्तों की धनराशि के पीठीसी चैक (पोस्ट डिपोजिट चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जायेगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पीठीसी चैक में ऑक्टित तिथि से 15 दिन के अन्दर बैंक में जमा कराया जायेगा। ऐसी स्थिति में यदि चैक की धनराशि बैंक द्वारा निविदादाता के हस्तक्षर न मिलने एवं खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण चैक बाल्जस होता है तो निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाही की जायेगी। ऐसी दशा में जिसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- द-यह है कि द्वितीय किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश एवं उत्पादित फसल के पकने की स्थिति में किसी भी किश्त का भुगतान नियत तिथि तक करने में असमर्थ रहता है तो उसके लिखित अनुरोध पर संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा विचारोपान्त नियत अवधि में अधिकतम एक माह की वृद्धि की जा सकती है, परन्तु इसके लिए द्वितीय पक्ष को देय राशि पर प्रारम्भ के 6 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 2.00 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किश्तों का देय विलम्ब शुल्क आगामी किश्त के धनराशि तक जमा करना आवश्यक होगा।
- ए-यह है कि द्वितीय पक्ष को लाइसेंस स्वीकृत होने व प्रथम किश्त का भुगतान करने के बाद सम्बन्धित भूमि पर कृषि कार्य करने से पूर्व आगामी एक किश्त की धनराशि के बराबर की धनराशि की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंकर चैक/एफडीआर० जो संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के हक में बन्धक हो जमा प्रस्तुत करनी होगी, जो 7 माह की अवधि अथवा आगामी फसल की बुवाई से पूर्व की अवधि, जो भी कम हो, तक प्रमाणी होगी।
- स- यह है कि यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप निश्चित अवधि में लाइसेंस शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है तो विश्वविद्यालय के प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि के अनुबन्ध को समाप्त करने हेतु विधिक नोटिस दिये जाने की कार्रवाही एवं सम्बन्धित भूमि पर तत्काल प्राप्ताव से जैसा है की स्थिति के साथ प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा स्वतः ही कृषि कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।
16. निविदादाता को निविदा की शर्त 15 में वर्णित किस्तों का भुगतान आर०टी०जी०एस०/ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
17. यह है कि द्वितीय पक्ष को कृषि कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वित्त नियन्त्रक के साथ ₹ 100.00 के नानजुडिशयल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा उसे नोटरी से सत्यापित कराना होगा। यह अनुबन्ध निविदा स्वीकृत होने पर द्वितीय पक्ष एवं वित्त नियन्त्रक, विश्वविद्यालय पन्तनगर के मध्य होगा एवं निविदा स्वीकृत होने पर देय 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने के साथ द्वितीय पक्ष के व्यय पर पूर्ण करना होगा तथा उक्त अनुबन्ध प्रपत्र को रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। पंजीकृत कराये जाने की पूर्ण प्रक्रिया द्वितीय पक्ष निविदादाता की होगी। अनुबन्ध पूर्ण न कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा द्वितीय पक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

18. यह है कि द्वितीय पक्ष को भूमि की जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई, सुरक्षा, चौकीदारी आदि सभी कृषि कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। भू-खण्ड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क पर किया जा सकेगा तथा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी नयी सुविधा का सूजन प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा नहीं किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस पर आवंटित भूमि में अथवा आस-पास प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र की अन्य भूमि में किसी भी दशा में कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य यथा खोखा लगाना, जानवर पालना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसा होने की दशा में 15 दिन का नोटिस देने के उपरान्त लाइसेंस निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि एवं अन्य धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
19. यह है कि द्वितीय पक्ष/लाइसेंसी अथवा उसका कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। यदि लाइसेंसी अथवा उसका कोई कर्मचारी किसी असामाजिक व गैरकानूनी कार्य में लिज्ज पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त करते हुए लाइसेंस को निरस्त कर कृषि कार्य किये जाने वाली भूमि को प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
20. यह है कि यदि द्वितीय पक्ष को भूमि के क्षेत्रफल सम्बन्धी कोई आपत्ति होती है तो उसके अनुरोध पर संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा अनुबन्ध निष्पादित होने से पूर्व एक माह तक संयुक्त पैमाइश करायी जा सकती है। अनुबन्ध निष्पादित होने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
21. यह है कि द्वितीय पक्ष/लाइसेंसी को विश्वविद्यालय अथवा प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिक को सेवायोजित करने का अधिकार नहीं होगा। अनाधिकृत नियोजन की स्थिति में विश्वविद्यालय को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति लाइसेंसी को करनी होगी।
22. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी कुल भूमि अथवा उसके किसी भाग की प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र को आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में एक माह का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबन्ध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है एवं तदनुसार भूमि शुल्क की भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि, यदि कोई हो, तथा खड़ी फसल के मूल्य (तकनीकी समिति के अंकलन के अनुसार) का भुगतान लाइसेंसी को कर दिया जायेगा।
23. यह है कि द्वितीय पक्ष को लाइसेंसी की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित रास्तों का उपयोग बिना कोई क्षति पहुँचाये करना अनिवार्य होगा। मशीनों आदि के लाने-ले जाने से रास्ते क्षतिग्रस्त होने की दशा में उनकी मरम्मत आदि का व्यय तकनीकी समिति के अंकलन के आधार पर लाइसेंसी को करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के अन्दर अथवा बाउण्डी के बाहर नये रास्ते द्वारा कोई उत्पादन नहीं ले जाया जायेगा तथा जो रास्ते प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के अन्दर बनाये गये हैं उन्हीं रास्तों का प्रयोग करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष उक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो प्रथम बार ₹ 5,000.00 क्षतिपूर्ति के रूप प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र को भुगतान करना होगा तथा उक्त की पुनरावृत्ति किये जाने पर ₹ 10,000.00 का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में करना होगा।
24. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर/आस-पास यदि पहले से ही प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र के श्रमिकों की झोपड़ियां हैं तो लाइसेंसी को उहें हटाने का अधिकार नहीं होगा।
25. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्लाट का क्षेत्रफल नहीं बदला जायेगा एवं पक्की या कच्ची सड़के काटकर कृषि योग्य भूमि में नहीं बदली जायेगी।
26. यह है कि द्वितीय पक्ष को बीज एवं फसल चक्र प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र प्रशासन से स्वीकृत करना होगा एवं ग्रीष्मकालीन धान की फसल उत्पादन करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। द्वितीय पक्ष को कृषि उत्पादन को बेचने/परिसर से बाहर ले जाने से पूर्व प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र प्रशासन से स्वीकृति लेनी होगी तथा संबंधित अधिकारी से गेट पास प्राप्त करना होगा।
27. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रक्षेत्र में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा। श्रमिकों के लिए अस्थाई झोपड़ी लाइसेंस की भूमि पर बनाने हेतु प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद अस्थाई झोपड़ियों आदि को ध्वस्त करना होगा।
28. यह है कि द्वितीय पक्ष को दी गई सम्पत्ति जिस स्थिति में दी जायेगी उसे अनुबन्ध समाप्ति पर, प्रक्षेत्र प्रशासन को वापस करना होगा। किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसी से की जायेगी।
29. यह है कि द्वितीय पक्ष को दिनांक 30.06.2025 के पश्चात प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र में दिये गये खेतों में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। इसके पूर्व ही उसे अपनी फसल, उपकरण इत्यादि केन्द्र से उठा लेने होंगे और यदि नहीं उठाये जाते हैं तो इन पर प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र प्रशासन का अधिकार हो जायेगा।
30. यह कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि कार्य हेतु द्वितीय पक्ष को निर्गत लाइसेंस किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुवांशिकता एवं किसी रिशेदारी के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
31. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस पर दी गयी व अनुबन्ध में दर्शायी गयी भूमि अथवा प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र की किसी भी भूमि अथवा उसे किसी भाग पर अपने स्वामित्व, कब्जा, आदि का दावा किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
32. यह है कि उलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लाइसेंसी के अनुरोध पर विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी एवं विद्युत शुल्क के देयकों का भुगतान विद्युत विभाग में जमा करना होगा। लाइसेंसी के आवेदन पर संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र की संस्तुति के अनुसार आवश्यक विद्युत सुरक्षा धनराशि जमा करने के बाद विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। जमा विद्युत सुरक्षा धनराशि लाइसेंस अवधि समाप्ति पर विद्युत विभाग पन्तनगर से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं सम्बन्धित कृषि कार्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही वापसी की जायेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से विद्युत कनेक्शन देने हेतु बाध्य नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध देय विद्युत शुल्क की धनराशि समय से जमा नहीं की जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति को निरस्त करते हुए विद्युत कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा सकती है। इस पर द्वितीय पक्ष का कोई दावा देय नहीं होगा।

33. यह है कि व्यापार कर स्टाम्प ड्यूटी तथा जीएसटी व अन्य किसी प्रकार का टैक्स (यथा—ई०एस०आई०सी० इत्यादि) यदि नियमानुसार देय होगा तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं बहन करना होगा। लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि पर जिस वर्ष स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा स्टाम्प शुल्क के अन्तर के समतुल्य की धनराशि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी का चालान द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने से पूर्व इस कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में जिला अधिकारी द्वारा आर०सी० काटने की कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंस शुल्कदाता की होगी।
34. यह कि द्वितीय पक्ष एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के साथ किये गये अनुबन्ध की समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। अनुबन्ध की अवधि में किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा बदलाव की दशा में सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब कर तो जायेगी तथा लाइसेंस निरस्त करते हुए कृषि कार्य की जाने वाली भूमि को प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
35. यह है कि यदि लाइसेंस शुल्कदाता/उसके कार्यकर्ता द्वारा आवंटित भूमि पर एवं उसके निकटतम् क्षेत्रफल पर जंगली जानवरों के अवैध शिकार करने हेतु विद्युत तार के माध्यम से क्षेत्रफल पर बिजली करन्त आदि लगाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी लाइसेंस शुल्कदाता की होगी तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति के दोषी पाये जाने पर लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि की स्वीकृति अविलम्ब निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
36. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा की वैधता समय के दौरान कई शर्त भंग की जाती है अथवा बदलाव किया जाता है तो “जी एफ आर के 273 नियम के नोट 2 (3)” के अनुसार निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब की जायेगी तथा किया गया अनुबन्ध निरस्त कर भूमि वापस ले ली जायेगी।
37. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण एकल पंचाट के रूप में कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उद्धम सिंह नगर अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। एकल पंचाट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बाध्य होगा।
38. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार उधमसिंहनगर जनपद में निहित होगा।
39. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के द्वितीय पक्ष को दी जाने वाली भूमि में सम्बन्धित प्रक्षेत्र सहायक/प्रक्षेत्र प्रमारी द्वारा तैयार की गयी इन्वेन्ट्री की सूची यथा उपलब्ध पेड़, तीवाई के साधन, पम्प, विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल लाइने एवं अन्य उपकरण आदि को लाइसेंस शुल्कदाता के सुरुद करना होगा जिसकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व लाइसेंस दाता का होगा एवं ठेका अनुबन्ध की समाप्ति पर लाइसेंस दाता को इन्वेन्ट्री की सूची के अनुरूप सभी पेड़ एवं उपकरण आदि बीज उत्पादन केन्द्र को वापस करना होगा अन्यथा की स्थिति में होने वाली क्षतिपूर्ति लाइसेंस दाता से वसूल की जायेगी।
40. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसलों के बचे हुए अवशेषों को खेत में जलाया जाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगा। यदि सफल निविदादाता द्वारा इस प्रकार का कार्य करते हुए पाया जाता है तो निर्णत स्वीकृति पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र स्वतंत्र होगा एवं इस कृत कार्यवाही हेतु ऐसे लाइसेंस शुल्कदाता पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जा सकती है तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नियम के पालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
41. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसल पर यदि किसी दैवीय आपदा, मौसम की अनिश्चितता अथवा अन्य किसी कारणों से किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो फसल की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। विश्वविद्यालय/बीज उत्पादन केन्द्र द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
42. यह कि सफल निविदादाता को दी गयी भूमि के क्षेत्रफल में यदि प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र की कोई चल/अचल सम्पत्ति आती है तो उसकी सुरक्षा आदि करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो होने वाली क्षतिपूर्ति का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा नियत समिति के माध्यम से कराये जाने के उपरान्त सफल निविदादाता द्वारा उसका भुगतान प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र को करना होगा। चल/अचल सम्पत्ति की इन्वेन्ट्री का विवरण सम्बन्धित द्वारा सफल निविदादाता को भूमि का कब्जा देते समय लिखित रूप से प्राप्त करना होगा एवं लाइसेंस शुल्क की अवधि समाप्त होने पर निविदादाता को उक्त चल/अचल सम्पत्ति को पुनः सम्बन्धित को हस्तगत करना आवश्यक होगा।
43. यह कि सफल निविदादाता द्वारा एक वर्ष की अवधि के दौरान हरी खाद/गोबर की खाद/जैविक खाद/कम्पोस्ट खाद आदि यथासम्भव प्रयोग करने का प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

निविदादाता का नवीनतम् फोटो एवं हस्ताक्षर



हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता का नाम

ग्राम एवं पोल

तह0 जनपद

पिन दूरभाष

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 43 तक) पढ़ ली गयी हैं तथा वह मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर